T-3921/14

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

015172

Serial No. 3861

Deed No. 3786

Govt. of Bihar

District Registry Office ,Madhubani

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/05/2014 by Devendra Prasad Singh

A Stamp Duty of Rs. 370820/- and other Fees of Rs. 20400/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 3786 in Book No. 1, Volume No. 46 on pages from 349 to 364 and has been preserved in total 16 pages in C.D. No. 8 / Year 2014

Signature with Date

(Kashi Kumar)

Registering Officer, Madhubani

Date: 29/05/2014 Token No: 3921 /2014

SCORE 3.0

DEVELOPMENT AGREEMENT

विकास कार्य एकरारनामा

यह विकास कार्य एकरानामा आज दिनांक– 29-5-14 को निम्नलिखित पक्षों के बीच सम्पन्न हुआ।

प्रथम पक्ष लेख्यकारी :–

(1) देवेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–सुरेन्द्र नारायण सिंह, वार्ड नं0 – 19, मेन रोड मधुबनी, पोस्ट+थाना+जिला–मधुबनी (बिहार)।

29.5.14 Devendra Prasad Singh.

Rajeev Kumar Thakur 29/5/014

SCANNED

District Registry Office,Madhubani

Token Number 3921 | Reg. Year 2014 | Serial Number 3861 | Deed Number 3786

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By	Devendra Prasad Singh Sig. Devendra Pd. Singh.						
Claimant	Rajiv Kumar Thakur Sig. Rajeev Kumar Thakur						
Executant	Devendra Prasad Singh Sig.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Identified By	Amarjit Kumar Sig. Amarjeet Kumar.						

SCORE Ver.3.0 | Powered by InfoSystem and Solutions,Patna | Biometric Captured By 4300sop002

Devendra Prasad Singh. 29.5.14.
W/- Amarjeet Kumar.
S/O Akhileshwar Prasad Singh.
At- Simri (East),
Post- Rajnagar
Dist - Madhubani
29-5-14

स्वयं वो अपने हिन्दु अविभाजित परिवार के कर्त्ता की हैसियत से, पत्रालय – **वार्ड नं0 – 19, मेन रोड मधुबनी, पोस्ट+थाना+ जिला – मधुबनी (बिहार)**, भारतीय नागरिक हैं। **जिन्हें भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) कहा गया है,** (भूखण्ड स्वामी से अभिप्राय अन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता हे जिन का संबंध भूखण्ड से विधिक प्रतिनिधि, कानूनी वारिसान सदस्य/अधिकृत एजेन्ट उत्तराधिकारीगण एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि से अभिप्रेत हैं। जिसका खाता नं0 – 862/8 खेसरा नं0 – 2701, 2702, 2699 नया एवं 7867, 7865, 2768 पुराना है)

द्वितीय पक्ष लेख्यधारी :–

रूकमनी बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड **(RUKMANI BUILDTECH PRIVATE LIMITED)** जो कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत है। जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U45500DL2009PTC187152 सन् 2008–2009 जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय – डी–251, तीसरी मंजिल, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली, पिन – 110092 एवं मधुबनी कार्यालय – वार्ड न0–19 मेन रोड मधुबनी, शहर वो जिला – मधुबनी (बिहार) द्वारा प्रबंध निदेशक श्री राजीव कुमार ठाकुर पिता श्री नन्द किशोर ठाकुर, निवासी ग्राम वो पत्रालय – रैमा, भाया – सहार घाट, थाना – सहार घाट, जिला – मधुबनी (बिहार) भारतीय नागरिक हैं, जिन्हे भू–विकासक/विकासकर्त्ता/बिल्डर/ उभेलपर (द्वितीय पक्ष) कहा गया है, (यहॉ विकासकर्त्ता से अभिप्राय यह है कि उनके अत्तराधिकारी कार्यालय उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेन्ट एवं चयनित उत्तराधिकारी से है, जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष से हैं, सम्मिलित किया जाता हैं)।

–: : सन्दर्भ : :–

हकियत यह है कि लेख्यकारी देवेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता – सुरेन्द्र नारायण सिंह, वार्ड नं0 – 19, मेन रोड मधुबनी, पोस्ट+थाना+जिला – मधुबनी (बिहार) इस तरह लेख्यकारी को अनुसूची – 1 में वर्णित सम्पत्ति पर पूर्ण हक, स्वमित्व, अधिकार एवं दखल कब्जा प्राप्त है तथा सम्पत्ति के

Devendra Prasad Singh. 29.5.14

Rajeev Kumar Thakur
29/5/014

भू–स्वामीगण बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के शांति पूर्वक रहते हुए चले आ रहे हैं वो हैं।

यह कि, उपर वर्णित प्रथम पक्ष जो कि भूखण्ड–स्वामीगण है तथा वर्णित रकवा के भूखण्ड पर भूखण्ड–स्वामी का दखल कब्जा शांतिपूर्ण ढ़ंग से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है एवं भूखण्ड–स्वामी का आपसी सहमति एवं इच्छा से अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड का रचनात्मक विकास के साथ–साथ उक्त भूखण्ड पर आवासीय बहुमंजिला भवनो का निर्माण उक्त भूखण्ड पर करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्ता के साथ यह भूखण्ड निर्माण विकास कार्य एकरारनामा का निष्पादन किया जाता है।

यह कि, भूखण्ड, निर्माण विकास एकरारनामा के तहत उभय पक्षों के मध्य इस एकरारनामा का निष्पादन आपसी सहमति एवं निर्धारित शर्तो पर किया जाता हैं।

यह कि, उपरोक्त भूखण्ड, प्रथम पक्ष की खास वो नीजि जमीन है, जो सभी तरह के ऋण भारों जैसे–सरकारी संस्था, गैर–सरकारी संस्था, बैंक ऋण, बिजली बिल, व्यक्ति ऋण, भारो आदि से विमुक्त एवं पाक–साफ है।

यह कि, उक्त भूखण्ड का मालगुजारी रसीद अंचलाधिकरी कार्यालय से प्रथम पक्ष के नाम से कटता चला आ रहा है अतः उक्त भूखण्ड सभी तरह के वारदैन वगैरह से मूक्त वो पाक–साफ है।

यह कि, प्रस्तावित बहुमंजिला भवनों का निर्माण भूखण्ड–स्वामी के जमीन पर होगा। अतः भूखंण्ड–स्वामी अर्थात् प्रथम पक्ष को निर्मित संरचना में **50 प्रतिशत** Built Up Area का द्वितीय पक्ष के द्वारा निर्माण उपरान्त दिया जाएगा वो भूतल पर पार्किंग वो अन्य स्थान में भी **50 प्रतिशत** Built Up Area का दिया जाएगा। दूसरी ओर विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को सम्पूर्ण निर्मित खेत्र का शेष **50 प्रतिशत** Built Up Area वो भूतल पर पार्किंग वो अन्य स्थान में भी **50 प्रतिशत** Built Up Area का आवंटन उसके पक्ष में जाएगा। जिसकी सहमति स्वीकृत के साथ प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी वो विकासकर्त्ता क द्वारा दी जाती हैं। इस पर प्रथम पक्ष वो विकासकर्त्ता एवं इनके उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी को किसी भी तरह की आपत्ति न है और न होगी। उपरोक्त बहुमंजिला भवनो का निर्माण कार्य हेतू विकासकर्त्ता द्वितीय पक्षके साा दोनों पक्षके बीच एक प्रसतावित योजना के अनुरूप निर्धारित शर्तो का पालन करने का वादा कर इस एकरारनामा का निष्पादनार्थ अपनी सहमति देते हैं। इसी प्रकार विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी प्रस्तावित योजना के तहत् सम्मिलित रूप से बहुमंजिला भवनों का निर्माण कार्य करने के उद्वेश्य से राजी हुए हैं ।

यह कि, मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/ सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में दोनों पक्षों विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष वो प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के द्वारा अस पर प्रसतावति कन्सट्रक्सन योजना के प्रारूप के लिए आदेश प्राप्ति का आवेदन करने की सहमति दी है।

Devendra Prasad Singh 29.4.14

Rajeev Kumar Thakur 29/5/014

उपरोक्त योजना का प्रारूप नक्शे के साथ मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) /मधुबनी नगर निगम / सक्षम प्राधिकरी के समक्ष योजना पारूप की स्वीकृति नक्शे के अनुसार भवन निमार्ण कार्य विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने खर्च से सुचारू यप से निर्धारित समय सीमा क भीतर करेंगें।

यह कि भवष्यि में यह बहुमंजिली इमारत बनने के बाद अगर मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) /मधुबनी नगर निगम/सक्षम प्राधिकरी से पूर्व में बने बहुमंजिली इमारत से उपर या अन्य स्थान पर निर्माण करने की स्वीकुति मिलती है तब इसका निर्माण कार्य विकासकर्त्ता करेगें और जोभी खर्च निर्माण में होगा उसका वहन द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता करेगें।

विकासकर्त्ता द्वितीय एवं भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के बीच इस एकरारनामा के तहत् निम्नलिखित शर्त निम्नलिखित होगें :—

1. यह कि उपर वर्णित प्रथम पक्ष के सदस्य अर्थात भूखण्ड स्वामी आपने उकत भूखण्ड को, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष की नियुक्ति, उपर वर्णित भूखण्ड क्षेत्र पर प्रसतावित योजना एवं बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 के प्रारूप के अनुसार विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष करेगें।
2. यह कि प्रथम पक्ष आर्थात् भूखर्ण्ड स्वामी अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिली इतारत के निर्माण हेतु विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हस्वताक्षर के द्वारा मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/ सक्षम प्राधिकारी के यहॉ नक्शा स्वीकृति हेतु सभी तरह के आवेदनों / नक्शा पर अपना हस्ताक्षर कर दे सकते हैं तथा नक्शा स्वीकृत कराकर, अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण करेंगें, भविष्य में यह बहुमंजिली इमारत बनने के बाद अगर मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/ सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में बने बहुमंजिली इमारत से उपर या अन्य स्थान पर निर्माण करने की स्वीकृति के लिए भी संशोधित योजना हेतु विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हस्ताक्षर के द्वारा मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/ सक्षम प्राधिकारी के यहॉ नक्शा स्वीकृति हेतु दे सकते हैं तथा नक्शा स्वीकृत कारकर, अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड पर पूर्व में बने बहुमंजिली इमारत से उपर या अन्य स्थान पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष करेंगें ।
3. यह कि भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष इस विकास एकरारनामा के द्वारा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को इस एकरारनाम के तत्वाधान में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के निर्माण कार्यों प्रगति हेतु अधिकार दिये जाते हैं तथा ये सभी अधिकार विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को दिए जाते है, जिसके अनुसार विकासकर्त्ता द्वितीय पख के द्वारा प्रस्तावित योजना के प्रगति हेतु बहुमंजिला भवनो के निर्माण करवाने एवे अपने हिस्से के क्षेत्र के लिये किसी को भी एकरारनामा करने, बिकय करने, दखल कब्जा देने, लेटर ऑफ पोजिसन देने तथा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के आवंटित हिस्से को निष्पादन हेतु भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष सभी तरह के अधिकार द्वितीय पक्ष को देते है वऐ भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के आवंटित हिस्सा को इसमें

Devendra Prasad Singh. 29.5.14

Rajeev Kumar Thakur 29/5/014

सम्मालित नही किया जाएगा क्योकि भूखण्ड स्वामी क्षेत्र परम निर्मित क्षेत्र को अपने इच्छा अनुसार उपयोग व उपभोग अथवा बिक्रय, एकरारनामा बगैरह करेंगें।

4. यह कि भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष ने अपने भूखण्ड का दखल कब्जा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को भूखण्ड का विकास बहुमंजिला भवनों का निर्माण कार्य हेतु दे दिया है और विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष प्रस्तावित योजना प्रारूप की स्वीकृति मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/ सक्षम प्राधिकारी सें लेगें। विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष विकास एवं निर्माण कार्य की शुरूआत नक्शा पास होने के तिथि के उपरान्त निर्माण कार्य की शुरूआत करने के लिए स्वतंत्र होंगे और निर्धारित अवधि के अन्दर निर्माण कार्य को पूरा करने के बाद भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष को विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अनके आवंटित हिस्से को बनाकर, भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष को सुपुर्द करेंगे। विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष इनके उत्तराधिकारी, कार्यालय उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेन्ट एवं चयनित उत्तराधिकारीगण, भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के हिस्से के आवंटित क्षेत्रों के फ्लैटों की बिक्रय बगैरह नहीं करेंगे।

5. यह कि, इस एकरारनामें के तहत विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को सिर्फ उनकों आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र से ही सरोकार होगा और भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र से कोई सरोकार या दावा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष नहीं करेंगे।

इसी तरह भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष को सर्फि उनाके आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र एवं परम निर्मित क्षेत्र से ही सरोकार होगा और विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र में कोई सरोकार या दावा भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष नहीं करेगें।

6. यह कि इस एकरारनामा के तहत दोनें पक्षों ने यह भी विश्वास दिलाते है कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर (परम) निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित सुविधाओं के साथ भवनों का उयोग व उपभोग आवंटित हिस्से पर स्वयं अथवा उनके उत्तराधिकारीगण अथवा खरीदार वगैरह अथवा सोसाईटी के लिए स्वतंत्र होगें।

7. यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को विश्वास दिलाते है कि प्रस्तावित योजना का नक्सा मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/ सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति मिलने की तिथ्रि से इस प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य ...3 साल (तीन साल), इसके अतिरिक्त छः महीना का समय विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को ग्रेस अवधि के रूप में भूखण्ड स्वामीप्रथम पक्ष द्वारा दिया जायेगा, के भीतर उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण कर, भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के हिस्से के आवंटित क्षेत्रो के फ्लैटों का निर्माण, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष का पूरा हिस्सा दखल

Devendra Prasad Singh. 29.5.14.

Rajeev Kumar Thakur
29/5/014

कब्जा दे देगें, बशर्ते कि प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना आदि निर्माण कार्य में बाधा न पहुचायें तथा उन प्राकृतिक समयों को निर्माण को निर्माण के लिये निर्धारित अवधि में गणना नहीं की जाएगी।

8. यह कि किसी कारणवश जिसके लिए भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष दोषी हो निर्माण कार्य बन्द हो जाये या निर्माण कार्य में बाधा हो अथता सरकारी नितियों के कारण, मुकदमों के कारण या नयायलय आदेश के तहत निर्माण काग्र ठप्प हो जाये बेसी परिस्थिति में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा सभी कानुनी प्रक्रियाओं को गुजरने में जो समय लगेगा उन सभी समयों को निर्धारित 3 साल (तीन साल) में नहीं की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित कारणों से निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं हो वो द्वितीय पक्ष के शिथिलता या उनके लापरवाही या विधि विरूद्ध कारवाई के कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं होता हो द्वितीय पक्ष उसके मुआवजा के रूप में प्रतिमाह एक लाख रूपया प्रथम पक्ष को अदाय करेंगें।

9. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रकियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा पूँजी का समावेश (लोन) विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष आपने हिस्से के 50 प्रतिशत पर लेगें। विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के विकसित क्षेत्रों पर किसी तरह का बैंक खर्च (लोन), इत्यादि नहीं लेंगें। पूंजी मुहैया हेतु विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेने, बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ अपने **50 प्रतिशत Built Up Area** पर ही विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष करेंगे। किसी भी हालत में प्रथम पक्ष का **50 प्रतिशत Built Up Area** हिस्सा विकासकर्त्ता बंधक नहीं रखेंगें।

10. यह कि द्वितीय पक्ष, विकासकर्त्ता की हैसियत से उपरोक्त वर्णित भूखण्ड पर निर्माण कार्य करेंगे और सभी अन्य तृतीय पक्ष दावों/विरोधी अथवा कानूनी बाधा/गैर कानूनी बाधा पहुँचाने वाने व्यक्तियों/दावेदारों के लिए विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष का साथ देंगे।

11. यह कि प्रस्तावित योजना के तहत भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारूप नक्सा का स्विकृति मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/सक्षम प्राधिकारी के द्वारा होने क बाद मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/सक्षम प्राधिकारी के नियम के अनुसार निर्माण करना पड़ेगा।

12. यह कि प्रथम पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारीगण निर्माण क अवधि में कार्य के समय निर्माण कार्य का निरीक्षण करगें एवं होगा।

13. यह कि कार्य पूरा होने के बरद विकासकर्त्ता और प्रथम पक्ष के द्वारा एक एसोसियेशन सभी सदस्यों का बनाया जायेगा। इस अपार्टमेंन्ट में रहने वाले सभी सदस्य इस इसोसियेश के सदस्य होंगे और सभी सछसय मिलकर अपार्टमेन्ट का रख–रखाव एवं देखभाल करेंगे, और इसमें होनेवाले खर्च का वहन सभी सदस्य मिलकर अपने–अपने हिस्से के अनुसार करेंगे।

Devendra Prasad Singh. 29.5.14.

Rajeev Kumar Thakur 29/5/014

14. जब कभी विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को आवश्कता होगी कि भूखण्ड स्वामी की आवश्यकता किसी भी तरह के वसिकाओं के निष्पादन में पड़ेगी उन्हें साथ लेकर उनकी सहमति से किसी भी तीसरे पक्ष के सभी खरीद फरोख्त के लिये स्वामित्व स्थानांतरण हेतु कागजातों पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेगें तथा निर्धरित किये गये शेयर्स के मुताबिक आचरण करेंगें।

15. यह कि प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी वो द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता शेयर वितरण के समय फ्लैटों के रूप में निर्मीत क्षेत्र क समायोजन में अगर भूखण्ड स्वामी को निर्मीत क्षेत्र का 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा मिलता है तो भूखण्ड स्वामी बढ़े हुए निर्मीत क्षेत्र का बाजार भाव के अनुसार प्रतिफल की राशि विकासकर्त्ता को देगें अगर विकासकर्त्ता को निर्मीत क्षेत्र का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा मिलता है तो विकासकर्त्ता बढ़े हुए निर्मित क्षेत्र का बाजार भाव के अनुसार प्रतिफल की राशि भूखण्ड स्वामी को देगें।

16. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमति प्रदान की गयी है कि बहुमंजीली इमारत के उपरी छत या अन्य सार्वजनिक (Common) जगहो पर किसी भी प्रकार का वाणिज्यीक या अन्य उपयोग हेतु किराये पर दिया जाता है उसका किराया प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी एवं द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता का उपरोक्त हिस्से के अनुसार होगा फ्लैट के खरीदारगण एवं अन्य कोई भी दावा नहीं करेगें अगर दावा करते हैं, तो वह दावा इस एकरारनामा के आधार पर अवैधानिक, शून्य, गलत, अमान्य वो गैरकानूनी समझा जायेगा और किसी अदालत में सुनवाई के लायक नहीं रहेगा। अगर खरीदारगण दावा करता है तो द्वितीय पक्ष का देय होगा।

17. यह कि अनुसूची–1 वर्णित भूखण्ड के सटे/अगल–बगल के भूखण्ड पर द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता बहुमंजली इमारत बनाने हेतु विकास कार्य एकरारनामा किसी अन्य पक्ष से करते हैं या भूखण्ड खरीदते हैं तब इस बहुमंजली इमारत के सेट बैंक एरीया या कौमन एरीया को दुसरी बनायी जाने बाली बहुमंजली इमारत के लिए एपरोच रोड/पहुँच–मार्ग/उपागमन सड़क के रूप में करेंगे।

18. यह की प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी वो विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष आपने –अपने हिस्से की निर्मित क्षेत्र में उपना स्वतवाधिकार सुरक्षित रखेंगें वो किसी भी प्रकार का टैक्स, सर्विस टैक्स, कर या सरकार द्वारा मांगी गई, किसी प्रकार की राशि का भूगतान प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी वो विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने–अपने हिस्से के अनूसार भुगतान सम्बन्धित कार्यालय में स्वयं करेंगे।

Devendra Prasad Singh. 29.5.14

Rajeev Kumar Thakur 29/5/014

19. यह कि दोनो पक्षों क बीच यह भी सहमति हुई है कि अपने–अपने हिस्से के निर्मित क्षेत्र का स्थानान्तरण प्रस्तावीत केता को सरकारी खर्च स्टाम्प डियूटी एवं कोर्ट डियूटी एवं रजिस्ट्रेशन डियूटी वो अन्य खर्च का वहन केता स्वयं करेंगे।

20. यह कि बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की धारा 5 (1) 5 (2) वो अन्य धराओं के अनुसार प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी को निर्माण के उपरान्त दिया जाने वाला निर्मित संरचना में **50 प्रतिशत Built Up Area** हिस्सा जमीन, फ्लैट, पार्किंग स्थलों इत्यादि में मिलेगाा और प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी को अपने **50 प्रतिशत Built Up Area** हिस्सा में पूर्ण स्वामित्व रहेगा वो पूर्ण स्वामी के रूप में अपने **50 प्रतिशत Built Up Area** हिस्सा को व्यवहार में लायेंगे या किसी को बिक्री, दान, वसीयत, गिरवी, एकरानामा इत्यादि करेगें।

इसमें विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगा।

यह कि बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की धारा 5 (1), 5 (2) वो अन्य धाराओं के अनुसार विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को निर्माण के उपरान्त दिया जाने वाला निर्मित संरचना में 50 प्रतिशत हिस्सा जमीन, फ्लैट, पार्किंग स्थलों इत्यादि में मिलेगा और विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को अपने 50 प्रतिशत हिस्सा में पूर्ण स्वामित्व रहेगा वो पूर्ण स्वामी के रू॰ मे अपने 50 प्रतिशत हिस्सा को व्यवहार में लायेंगे या किसी को बिक्री, गिरवी, एकरारनामा इत्यादि करेगें। इसमें प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी को कोई आपत्ति नही होगा।

21. यह कि एकरारनामा दोनों पक्षों के उत्तराधिकारों पर लागू रहेगा।

22. यह कि सभी न्यायिक मामलों का निवटारा मधुबनी अधिनस्थ न्यायालय से किया जायेगा।

23. यह कि बिहार अपार्टमेंन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की सभी नियम और शर्तें लागू होगी।

यह कि इस एकरारनामा में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के द्वारा पाधिकृत कार्य, कियाकलापों, वसीका निष्पादनार्थ विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को दिया जाने वाला अधिकारः–

(i) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष इस एकरारनामा के बाद नक्शा बनाकर मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/ सक्षम प्राधिकारी के याहॉ नक्शा पास कराने हेतुअपने हस्ताक्षर से नक्शा पेश करेंगे और इसमें बदलाव भी अपने नियामानुसार विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष भुखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के सहमति से अपने हस्ताखर से करेगें। सभी कागजाते, घोषणा–पत्र, शपथ–पत्र इत्यादि पर हस्ताक्षर किासकर्त्ता नक्शा पास कराने क लिए मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/सक्षम प्राधिकरी में जमा कर सकें, परमिशन ले सके और नक्शा पास करवने तथा परमिशन लेने में जो भी खर्च होगा ।

Devendra Prasad Singh. 29.5.14

Rajeev Kumar Thakur
29/5/014

(ii) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अपने बहुमंजिला इमारत के निर्माण में यह अधिकार होगा कि वह आर्किटेक्ट, सर्वेयर, इंजीनियर और ठेकेदार इत्यादि की नियुक्ति अपने अनुसार कर सके।

(iii) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष विधुत कनेक्शन लेने क लिए दर्खास्त अपने हस्ताक्षर से देंगें और लोहा, सीमेंट इत्यादि को किसी से भी खरीदने के लिए आवेदन–पत्र अपने हस्ताक्षर से दे सकेगें।

(iv) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड के निश्वत नोटिस इत्यादि प्राप्त कर सकें और किसी न्यायालय में हाजिर होकर बयान तहरीर बगैरह जमा कर सकें और वमालतनामा भी दाखिल कर सकें।

(v) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष जमीन पर इस एकरारनामा के जरिए खाता खोल सके ताकि वे उक्त नक्शा से भवन निर्माण कार्य कर सके और उनसे जो फ्लैट इत्यादि लेगा वह भी ऋण के लिए बैंक में आवेंदन–पत्र दाखिल कर सके तथा अपने हिस्सो क फ्लैट इत्यादि को किसी के यहाँ बंधक रख कर बहुमंजिला इमारत क फ्लैटों इत्यादि का निर्माण कर सकें।

(vi) यह कि भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष, इस एकरारनामा के निष्पादन एवं निबन्धन के बाद, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष एवं इनके स्टाफ, इंजिनियर, आर्किटेक्ट, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह क सुविधा प्रदान करेगें, जैसे – उक्त भूखण्ड पर जाने रहने, प्रचार हेतु बोर्ड लागने या बिल्डिंग मेटेरियल जमा करने हेतु एवं अन्य विकास पूर्व कार्य जमीन मापने हेतु इत्यादि।

(vii) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष प्रस्तावित योजना के प्रारूप के तहत नई योजनाओं में भवन निर्मान कार्य के लिये तैयारी करेगें। उसका सुधार भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के सहमति से करगें तथा सभी तरह के योजनाओं का निष्पादन भी न्याय विधि संगत करने का अधिकार व सभी आवश्यक किया–कलापों की स्वीकृति सम्बन्धित विभागों से करवायेगें?।

(viii) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हिस्से में किसी तरह के एकरारनामा, निर्विवाद बिकय पत्र अथवा भवनों को आवंटित करने किरायानामा, पट्टा अभिलेख देने हेतु वांछित राशि लेकर उक्त अभिलेखो का निष्पादन न्याय, विधि संगत, केता (खरीदार) या अन्य के पक्ष में करेगें।

(ix) उन सभी कार्यो के लिये विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष स्वतंत्र होगें जिसके द्वारा आवंटन और बिकय हेतु विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को अपने हिस्से में आवंटित निर्मित क्षेत्र के एवज में बिकय सम्बन्धित प्रकियाओं क लिये कागजातों का निष्पादन करेंगें।

(x) यह कि प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड के निश्वत न्यायपूर्ण, विधि संगत कार्य करने हेतु सभी प्रकार के अधिकार देते हैं।

Devendra Prasad Singh. 29.5.14

Rajeev Kumar Thakur 29/5/014

(xi) एतद् द्वारा प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी घोषित करते है कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को इस पत्र क द्वारा प्रदत अधिकारों के बल पर तथा अन्य अनेक्षित अधिकार जो ऐसे प्रसंग में आवश्यक हैं परन्तु उसका अल्लेख इस पत्र में नहीं हो पाया है का भी उपयोग कर जो कुछ भी कार्य करंगें वह सभी किया गया कार्य प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी को कानूनी रूप से मान्य एवं सिरोधार्य होगा तथा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा किए गए कार्यो का समर्थन, अनुमोदन वो सम्पुष्टि प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी करते हैं वो करेगे। प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के द्वारा की गयी घोषणा:—

(i) यह कि उपर वर्णित भूखण्ड का मूल रकवा एराजी 20.056 डिसमिल हैं।

(ii) यह कि उपरोक्त प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी की निजी वो खास सम्पत्ति है एवं उनका दखल कब्जा शांति पूर्वक तरीके से है तथा वे निर्विवाद रूप से अनुसूची—1 में वर्णित भूख्ाण्ड की स्वामी हैं वो सभी तरह के ऋणभारों से विमुक्त है तथा सभी तरह के वाद—विवाद से पाक वो साफ है तथा किसी भी तरह का स्वामित्व से समबन्धित किसी भी तरह का नुक्स नही है एवं किसी भी तरह के दीवानी एवं फौजदारी मामलों अथवा भूमि हदवन्दी कानून के अनतर्गत अधिग्रहण नहीं किया गया है और न किसी तरह का ऋण मुहैया ले रखीं है। यह भी घोषित कियसा जाता है कि उक्त मूल भूखण्ड का पट्टा किराया लाइसेंन्सी अथवा वंदोवस्ती उपहार स्वरूप किसी अन्य विशेष को सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं को भी नही दिया गया है ।

(iii) प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी यह भी घोषणा करते है कि उनके भूखण्डो के विरूद्व मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) मधुबनी नगर निगम/सक्षम प्राधिकरी, भूमि हदबन्दी कार्यालय, भू—अर्जन कार्यालय तथा अन्य किसी तरह के सरकारी — गैरसरकारी संस्थाओं, सरकारी — गौरसरकारी वित्तीय संस्थाओं या न्यायालय के द्वारा अनुसूची—1 में वर्णित भूखण्ड के अंश या पूर्ण भाग के लिये किसी सतरह की अधिसूचना प्रेषित नहीं की गयी हैं।

(iv) प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी यह भी घोषणा करते है कि उनके दखल कब्जे वाली उक्त भूखण्ड पर कोई हकीकत, दावा, सम्पत्ति अधिग्रहण, अटैचमेन्ट सम्बन्धित अध्यादेश, सूचना एवं किसी तरह का निषेधाज्ञा नहीं किया गया है अथवा टैक्स सम्बन्धित आयकर या विकय कर राजस्व अधिकारियों द्वारा म्युनिसपल अधिकारियों द्वारा अथवा सरकारी अधिकारियों द्वारा समपत्ति के पुर्ण या अंश भाग के लिये किसी भी तरह की अधिसूचना जारी नही की गयी है।

(v) किसी भी दिवानी या फौजदारी न्यायालय के द्वारा कुर्की, जब्ती अथवा सम्पत्ति अधिग्रहण के लिये या किसी दावों या दावा विशेष के लिये न्यायालय का फौसला अथवा डिग्री यथावत स्थिति बहाल करने का आदेश या मामला लम्बित नही है एवं दीवालिया सम्बन्धित सूचना न्यायोजित आदेश को पारित नहीं किया गया है।

(vi) प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी यह भी घोषणा करते है कि कोई भी व्यक्ति या दावेदारी या हकदार उनके फरीकैन का सम्पति, हिस्सा, दावा टाईटिल बगैरह उक्त भूखण्ड के दावा पूर्ण रूपेण या अंश भाग नहीं हैं या न तो हिन्दु अविभाजित

Devendra Prasad Singh. 29.5.14

Rajeev Kumar Thakur
29/5/014

फैसला अथवा डिग्री यथावत स्थिति बहाल करने का आदेश या मामला लम्बित नहीं है एवं दिवालिया सम्बधिंत सूचना न्यायोचित आदेश को पारित नहीं किया गया है ।

(vi)प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी यह भी घोषणा करते है कि कोई भी व्यक्ति या दावेदारी या हकदार उनके फरीकैन का सम्पति हिस्सा दावा टाईटिल वगैरह उक्त भूखण्ड के दावा पूर्ण रूपेण या अंश भाग नहीं है या ना तो हिन्दु अविभाजित परिवार की सम्पति है है न ही साझेदारी सम्पति है। सम्पति सभी प्रकार के विध्न प्रतिबंध भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं साफ है ।

(vii) यह कि प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के द्वारा यह भी विश्वास दिलाया गया कि उक्त भूखण्ड के किसी भी पूर्ण या अंश भाग के लिय वैय वैयाना एकरारनामा अथवा सम्पति का स्थानानान्तरण किसी भी व्यक्ति विशेष को उपहार या वसीयत के द्वारा निष्पादित नहीं किया गया हैं न ही भविष्य में करेंगं और न तो किसी साझेदार या परिवार के किसी भी फरीकैनों का हिस्सा है।

(viii) यह कि उक्त भूखण्ड से संबंधित सभी मुल दस्तावेज प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के पास सुरक्षीत रहेगा। विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को कार्यालय में उपयोग हेतु फोटो प्रति दिया जायेगा। जरूरत पड़ने पर मूल दस्तावेज को प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

(xi)यह कि बहुमंजिला इमारत बनने के सभी तरह के खर्च का वहन इस एकरारनामा के निष्पादन की तिथि से विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा, जबकि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष इस बात के लिये जबाबदेह नहीं होगें कि इस एकरारनामा के निष्पादन के पहले का बकाया रशि अथवा किसी तरह की जबावदेही नहीं उठायेगें तथा उसकी जबावदेही प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी की होगी।

(x)यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि जो भी निर्धारित स्वीकृति प्रस्तावित योजना से यदि थोड़ा कम या ज्यादा से प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के सहमति के पश्चात् कर सकते है जो कि योजना के वितरण या खंड भाग के लिये कम या ज्यादा से कर सके । यद्यपि कानून का उल्ल्घंन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए।

अनुसूची :—

ऊपर वर्णित भू–स्वामी प्रथम पक्ष के भूखण्ड का विवरण:—

वाके मौजा — भौआड़ा
महल्ला — ब्रहम्देव चन्द्रकला कॉलोनी,वार्ड नं0 —19
थाना — मधुबनी
शहर वो जिला — मधुबनी (बिहार)
अवर निबंधन कार्यालय— मधुबनी (बिहार)
जिला निबंधन कर्यालय— मधुबनी (बिहार)
अंचल अधिकारी कार्याल— रहिका ,मधुबनी

Devendra Prasad Singh. 29.5.14
Rajeev Kumar Thakur
29/5/014

एराजी 4 कट्टा 1 धूर 17.658 डिसमिल, व्यवसायिक प्रधान र्माग जिसका बजार मुल्य–18541000 रू0 होता है।

थाना संख्या	–	62
तौजी	–	6424
खाता संख्या	–	862/8
सर्वे खेसरा संख्या	–	2701,2702,2699, नया एवं 7867,7865,2768 पुराना है।

चौहदी :–

उत्तर :– नगर परिषद सड़क

दक्षिण :– नीजी सड़क

पूरब :– पि0डब्लू0डी0 मूख्य सड़क

पश्चिम :– नरेन्द्र नारायण सिंह (निराला) रकवा 37 डी0

सराकार द्वारा प्राक्कलित न्यूनतम दर रूपया–........................./–

नोटः– न्यूनतम दर पर्जी के कम संख्या–..............................पर अंकित है।

<u>अनुसूचीः– 2</u>

<u>भूखण्ड स्वामी अर्थात प्रथम पक्ष को निर्मित संरचना में 50 प्रतिशत हिस्सा</u>

प्रस्तावित बहुमंजिला भवन के निर्मीत क्षेच का 50 प्रतिशत हिस्सा सभी सुविधाओं के साथ में प्रदान की जाएगी वो भूतल पर पार्किग वो अन्य स्थान में भी 50 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।

यह कि भविष्य में बहुमंजिला इमारत बनने के बाद अगर मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/मधुबनी नगर निगम/ सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में बने बहुमंजिला इमारत से उपर या अन्य स्थान पर निर्माण करने की स्वीकृति मिलती है तब इसमें भूखण्ड स्वामी अर्थात् प्रथम पक्ष को निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।

यह कि बहुमंजिला इमारत वो भूतल पर पार्किग वो अन्य स्थान में भी 50 प्रतिशत हिस्साा के स्वामी भूखण्ड स्वामी अर्थात् प्रथम पक्ष है यह वसीका ही इनके हिस्से का स्वामित्व पत्र (**Title Deed**) है। इसी को भूखण्ड स्वामी आर्थात प्रथम पक्ष के हिस्से का स्वामित्व पत्र (**Title Deed**) माना गया है। इस वसीका के अलावे किसी भी प्रकार का स्वामित्व पत्र (**Title Deed**) की आवश्यकता भूखण्ड स्वामी अर्थात प्रथम पक्ष को नहीं हैं।

<u>विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के निर्मित संरचना में 50 प्रतिशत हिस्सा</u>

प्रस्वतावित बहुमंजिला भवन के निर्मीत क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा सभी सुविधाओं के साथ में प्रदान की जाएगी वो भूतल पर पार्किग वो अन्य स्थान में भी 50 प्रविशत हिस्सा दिया जाएगा।

Devendra Prasad Singh. 29.5.14

Rajeev Kumar Thakur
29/5/014

यह कि भविष्य में यह बहुमंजिली इमारत बनने के बाद अगर मधुबनी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) / मधुबनी नगर निगम / सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में बने बहुमंजिला इमारत से उपर या अन्य स्थान पर निमार्ण करने की स्वीकृति मिलती है तब इसमें विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को निर्मीत क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।

यह कि बहुमंजिला इमारत वो भूतल पर पार्किंग वो अन्य स्थान में भी 50 प्रतिशत हिस्सा के स्वामी विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष है यह वसीका ही इनके हिस्से का स्वामित्व पत्र है । इसी को विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के हिस्से का स्वामित्व पत्र माना गया है। इस वसीका के अलावे किसी भी प्रकार का स्वामित्व पत्र की आवश्यकता विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को नहीं है।

इस वास्ते यह वसीका विकास एकरारनामा प्रथम पक्ष (भूखण्ड–स्वामी)एवं द्वितीय पक्ष अपने मानसिक वो शारिरिक स्वस्थ अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव वो धमकाव के अपने तथा परिवार के हानि– लाभ पूर्ण ज्ञान सहित भली भॉती समझ वे बुझकर तथा हितेशियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर यह वसीका विकास एकरारनामा एक दूसरे के बनाम वो वहक स्वतंत्र गावाहान के समक्ष लिख दिए कि समय पर काम आवे वे प्रमाण रहे।

दिनांक 29.5.14 ।

गवाह का नाम एवं पूरा पताः–

1. W/- Amarjeet Kumar.
S/O Akhileshwar Pd Singh.
At- Simri (East)
PO - Rajnagar
Dist - Madhubani
29-5-14

Devendra Prasad Singh. 29.5.14.

2. W/ Sujit Kr. Singh
S/o. Late Bholasingh
Hospital road Madhubani
29/05/14

भूखण्ड–स्वामी का हस्ताक्षर

Rajeev Kumar Thakur 29/5/014

डेभलपर (विकासकर्त्ता)का हस्ताक्षर

टंकणकर्त्ताः–

प्रारूपकर्त्ता –

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 370820/-	
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	390220/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	20000

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge

400

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20400

Date: 29/05/2014

Registering Officer
Madhubani

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Madhubani Sadar on Thursday, 29th May 2014 by Devendra Prasad Singh Surendra Narayan Singh by profession Agriculture. Status - Executant

Devendra Prasad Singh. 29.5.2014 W/Amarjeet Kumar. 29-5-14

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:29/05/2014**

Registering Officer
Madhubani Sadar

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Amarjit Kumar' age '40' Sex 'M', 'Akhilesh Singh', resident of 'Vill-Simri, Ps-Rajnagar, Madhubani'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 29/05/2014

Registering Officer
Madhubani

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Madhubani Sadar in Book 1 Volume No. 46 on pages on 349 -364 , for the year 2014 and stored in CD volume No. CD-8 year 2014 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 29/05/2014

Registering Officer
Madhubani

Token No. : 3921 Year : 2014 S.No. : 3861 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 3786